

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/


दिनांक

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान

समस्त अधीक्षक,
राजकीय जिला चिकित्सालय,

विषय :- डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत चिकित्सको की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी चिकित्सको के डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति आदेशो मे से यदि किसी चिकित्सक का चयन डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत देय पदोन्नति तिथि से पूर्व कॉलेज साईड मे हो गया है, तो ऐसे चिकित्सक का पदोन्नति पर कार्यग्रहण/वेतन निर्धारण नहीं कराते हुए चिकित्सक के पूर्ण सेवा विवरण से इस निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करावे।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/713

दिनांक 26/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि पत्र समस्त संबंधित को ई-मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर